हरियाणा कौशल रोजगार निगम की भर्तियों निगम की भर्तियों में आरक्षण के लिए अपनाए गए मापदंड

प्रश्न संख्या - *17 राव दान सिंह (महेन्द्रगढ़):

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगें किः

(क) हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के अंतर्गत भर्तियों में आरक्षण के लिए अपनाए गए मापदंड क्या है;

(ख) एच.के.आर.एन.एल. के तहत भर्ती किए गए अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग (ए), तथा पिछड़ा वर्ग(बी) सेवानिवृत अभ्यर्थियों को अब तक कितने प्रतिशत आरक्षण दिया जा रहा है; तथा

(ग) क्या सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियुक्त कर्मचारियों के लिए कोई स्थानांतरण नीति बनायी गई है; यदि हां, तो क्या उक्त अभ्यर्थियों की नियुक्ति स्थानांतरण नीति के अनुसार है?

उत्तरः मनोहर लाल, मुख्यमंत्री

क)महोदय जी, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के अंतर्गत आरक्षण का मापदंड सरकार द्वारा निर्धारित "Deployment of Contractual Persons Policy - 2022"दिनांक 30 जून 2022 की नीति के तहत निर्धारित की गई धारा '9' के अंतर्गत उल्लेख किया गया हैं।

ख)हरियाणा कौशल रोजगार निगमके अंतर्गतअनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, सामान्य, सेवानिवृत अभ्यर्थियों को दिए गए आरक्षण का प्रतिशत निम्नलिखित हैः

जाति श्रेणी	नई श्रमशक्ति	पोर्टिंग श्रमशक्ति	नई नियुक्तियां (%)	पोर्टेड (%)
बी0सी0	**3553**	**29288**	**27.05 %**	**27.69%**
सामान्य	**6870**	**44269**	**52.31%**	**41.86%**
ए0सी0	**2710**	**32190**	**20.63%**	**30.44%**
सेवानिवृतअभ्यर्थी	**5**	**436**	**0.03%**	**0.41%**

ग) महोदय जी, सरकार द्वारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से नियुक्त श्रमशक्ति के लिए कोई स्थानांतरण नीति नही बनायी गई हैं।